

25/6/25

पत्रावली पेश हुई। जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाड़ा द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है। अतः पत्रावली आईन्दा कार्यवाही के लिये दिनांक 12/8/25 को पेश हो।

शेडर
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

12.8.25 पत्रावली पेश हुई। प्राची अधिवक्ता उपस्थित। प्राची अधिवक्ता के विपरीत की बाद तमील प्राप्त जो शा. फा. कि गयी। विपरीत का जवाब देते पत्रावली वास्तु विपरीत का जवाब देते 7.10.25 को पेश हो।

जसमीत सिंह संधू
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

07.10.2025 पत्रावली पेश हुई। प्राची की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित। विपरीत की बाद तमील रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल फाइल है। प्राची अधिवक्ता ने शा. फा. अंतर्गत आदेश 09 नियम 09 संपादन धारा 15। ला. दी पर बहस के लिए अक्षर चढ़ा गया है, जो प्रदान किया जाता है। पत्रावली वास्तु बहस अंतिम दिनांक 28.10.2025 को पेश हो।

जसमीत सिंह संधू
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

28/10/25 पत्रावली पेश हुई। जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाड़ा द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है। अतः पत्रावली आईन्दा कार्यवाही के लिये दिनांक 11/11/25 को पेश हो।

शेडर
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

11.11.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची व फेरफार राज. उ. प्रा. फा. अंतर्गत आदेश 09 नियम 09 संपादन धारा 15। ला. दी 09.10.2024 पर बहस सुनी गई। प्राची वकील ने अपने वर्ति तथ्यों को दोहराते हुए प्र.सं. 29/2021 (अपील) के आदेश दिनांक 16.07.2024 को अपास्त फरमाया लकर अप. पूनः नंबर पर लिखे जाने का निवेदन किया। प्राची व अंतर्गत आदेश 09 नियम 09 संपादन धारा 15। ला. दी. किया जाता है। पत्रावली फेरफार शुमार हो। मूल उर्मा 29/2021 के नल्पी रहे।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा